

पदोन्नति / तैनाती

इस कार्यालय के पत्रांक 2061/1-12 दिनांक 06-06-2022 द्वारा कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति का गठन किया गया था। पदोन्नति समिति की दिनांक 07-06-2022 को बैठक आयोजित की गयी। पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित कनिष्ठ सहायक वेतनमान रू० 21700-69100 वेतन मैट्रिक्स लेवल-3 के कार्मिकों को वरिष्ठ सहायक वेतनमान रू० 29200-92300 वेतन मैट्रिक्स लेवल-5 के पद पर आदेश प्रभावी होने की तिथि दिनांक 01-07-2022 के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति की जाती है :-

क्र० सं०	कनिष्ठ सहायक का नाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय
1	2	3
1	श्री दीपक कुमार	मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी
2	श्री राकेश कुमार शाह	प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग उत्तरकाशी
3	श्रीमती गीता देवी	वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त पौड़ी
4	श्री रघुवीर सिंह नेगी	प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग
5	श्रीमती शिप्रा अरोड़ा	मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण, देहरादून
6	श्री मुकेश सिंह	मुख्य वन संरक्षक, कार्ययोजना, हल्द्वानी
7	श्री दीपेन्द्र पाल परमार	प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट
8	श्री सुमित सिंह नेगी	मु०व०सं०, अनुश्रवण मूल्यांकन, आई०टी० एवं आधुनिकीकरण देहरादून
9	श्रीमती अंजू नेगी	प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर
10	श्रीमती गीता जोशी	निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर

नोट:-पदोन्नति आदेश दिनांक 01-07-2022 से प्रभावी होगा

1. पदोन्नत कार्मिक कार्मिक द्वारा यदि पदोन्नति का परित्याग किया जाता है तो कार्मिक के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्यधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

2. पदोन्नति पद पर योगदान वर्तमान तैनाती कार्यालय में ही देंगे। संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक अपने क्षेत्रांतर्गत कार्मिकों की रिक्तियों पर आवश्यकतानुसार नियमानुसार पृथक से तैनाती/स्थानान्तरण हेतु स्वतंत्र होंगे।

3. संबंधित कार्मिक पदोन्नति प्रभावी होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन अपनी पदोन्नति पर योगदान देना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित तिथि तक पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान नहीं दिया जाता है तो यह समझा जायेगा कि संबंधित कार्मिक द्वारा पदोन्नति का परित्याग किया गया है और कार्मिक का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

4. कार्मिक की पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान करने संबंधी सूचना इस कार्यालय को कार्मिक के अवमुक्त/योगदान के तत्काल पश्चात अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाये।

(मनोज चन्द्रन)  
मुख्य वन संरक्षक

वनादेश सं० 2069 (1)/1-12 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख वन संरक्षक वन संरक्षक, HoFF उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मु०व०सं०, अनुश्रवण, मूल्यांकन आई०टी० एवं आधुनिकीकरण, देहरादून, को विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
3. आदेश में अंकित समस्त कार्यालय।
4. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. संबंधित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
6. अधिष्ठान/गार्ड बुक।

(मनोज चन्द्रन)  
मुख्य वन संरक्षक

I. T. G. C  
ए. क. म. का. 5  
अ. व. 2  
C. P. F  
8/6/22

सि. प्रिया  
डॉ० का. करे  
8/6/22